

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
 उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)
 पत्रांक 401 / दो-14-1(वा0स्था0 / 24-25) / 2024-25,
 दिनांक: चौबटिया: गई, 28 / 2024

—:आदेश:—


निदेशालय के आदेश संख्या-253/दो-14-1/2024-25 दिनांक 10.05.2024 से शासन के पत्र संख्या-201649/ई-पत्रा0 सं0-25478/XIII-1/2024 दिनांक 26.03.2024 के संलग्नक कार्मिक अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/ई-33080, दिनांक 14.03.2024 के आलोक में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30 दिनांक 06.02.2018 में निहित व्यवस्था के आलोक में वर्ष 2024-25 में स्थानान्तरण अधिनियम में निर्देशों के पालनार्थ श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 में कार्यरत अधिकारियों के सम्बन्ध में सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विभिन्न रांगों के पात्र कार्मिकों का विवरण, चिन्हांकन एवं रिक्त पदों की सूची विभागीय वेबसाईट shn.uk.gov.in पर प्रदर्शित की गयी।

उक्त के आलोक में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आप स्वयं एवं आपके अधीन यदि किसी अधिकारी को अपने सेवा सम्बन्धी अगिलेखों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/संशोधन दर्ज कराना हो तो पूर्ण अगिलेखीय साक्ष्यों सहित एवं अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारियों के विकल्प आमंत्रित करने के साथ-साथ अनुरोध के आधार पर विकल्प/आवेदन निदेशालय के पत्र संख्या-253/दो-14-1/2024-25 दिनांक 10.05.2024 से आमंत्रित किये गये। निदेशालय के उक्त निर्देशों के अनुपालन में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु कतिपय अधिकारियों के विकल्प/आवेदन तथा अनुरोध के आधार पर भी कतिपय अधिकारियों के आवेदन/विकल्प प्राप्त हुए हैं, जिन पर प्राविधानानुसार प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जा रहा है तथा जिन अधिकारियों के आपत्ति/संशोधन के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उनका सम्यक विचारोपरान्त प्रत्यावेदन निम्नवत् निरस्तारित जा रहा है।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	आपत्ति/संशोधन का संक्षिप्त विवरण	समाधान/निराकरण
1.	डा0 रजनीश सिंह, उपनिदेशक (स्थापना) मुख्यालय सम्प्रति राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून।	इनके द्वारा पत्र दिनांक 14.05.2024 से अनुरोध किया गया है कि उप निदेशक (स्थापना) का पद उद्यान भवन चौबटिया (दुर्गम) में पद स्थापित है एवं उनके द्वारा उप निदेशक (स्थापना) मुख्यालय के समस्त कार्य देखे जाते हैं, फलस्वरूप उप निदेशक (स्थापना) राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून के स्थान पर उद्यान भवन, निदेशालय में अंकित किया जाय।	इस सम्बन्ध में अतगता करना है कि शासन के कार्यालय आदेश संख्या-86829/ई-35261/XIII-1/2022 दिनांक 28.12.2022 से डा0 रजनीश सिंह, श्रेणी-1 की तैनाती उपनिदेशक (स्थापना) निदेशालय मुख्यालय के सापेक्ष राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून की गयी है। अस्तु डा0 रजनीश सिंह उपनिदेशक(स्थापना) का वर्तमान तैनाती स्थल राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून है, जो कि सुगम क्षेत्र में चिन्हांकित है। ऐसी स्थिति में सुगम क्षेत्र में वार्षिक तैनाती के आधार पर डा0 सिंह को निदेशालय चौबटिया में अंकित किया जाना उचित नहीं है। तदनुरार इनका प्रत्यावेदन सम्यक विचारोपरान्त निरस्तारित किया जाता है। इन्हें वार्षिक आधार पर सुगम क्षेत्र में अंकित किया गया है।

2	श्री तेजपाल सिंह, मुख्य उद्यान अधिकारी, चमोली	श्री तेजपाल सिंह, मुख्य उद्यान अधिकारी चमोली द्वारा अन्य तथ्यों के अतिरिक्त वर्तमान तैनाती की तिथि 29.09.2019 अंकित की गयी है।	वर्तमान तैनाती की तिथि तदनुसार कर ली गयी है।
3.	श्री सुधीर कुमार पाण्डे, श्रेणी-1 कार्यालय पौधशाला विकास अधिकारी, कुम्भीचौड़ कोटद्वार	श्री सुधीर कुमार पाण्डे, श्रेणी-1 द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा आशोग रो तयान उपरान्त दिनांक 20.08.1989 को विभाग में योगदान दिया गया तथा उनकी पदोन्नति श्रेणी-2 के पद पर दिनांक 28.06.2016 को हुई एवं इसी प्रकार श्रेणी-1 में प्रोन्नति 27.06.2023 को हुई तथा सेवानिवृत्ति निकट होने एवं अन्य तथ्यों का उल्लेख कर अनुरोध के आधार पर सुगम क्षेत्र में श्रेणी-1 के किसी पद पर स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि श्री सुधीर कुमार पाण्डे की प्रथम नियुक्ति का दिनांक सेवा अभिलेखों में दिनांक 20.10.1989 अंकित है एवं तदनुसार श्रेणी-2 में प्रोन्नति एवं तदआलोक में श्रेणी-2 के पद पर योगदान एवं प्रोन्नति के फलस्वरूप नवतैनाती स्थान पर योगदान की तिथि 01.10.2016 सेवा अभिलेखों में अंकित है तथा इसी प्रकार श्रेणी-1 में योगदान की तिथि 27.06. 2023 अंकित है, जिनसे सेवा विवरण के सार में तदनुसार अंकित कर लिया गया है।
4	डा० रोहित बिष्ट, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी सम्प्रति सहायक निदेशक, अपर निदेशक कार्यालय राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून	डा० रोहित बिष्ट द्वारा 31.05. 2012 से 03.06.2021 तक की कृषि विभाग की चिन्हांकन (दुर्गम) के अनुसार सेवा आगणित करने का अनुरोध किया गया है।	आपत्ति/ संशोधन ग्राह्य है। तदनुसार 31.05.2012 से 03.06.2021 तक की कृषि विभाग की सेवाओं को विवरण में संशोधित कर लिया गया है।


तदनुसार प्राप्त प्रत्यावेदन/संशोधन पत्रों का सम्यक विचारोपरान्त उक्तानुसार निस्तारण किया जाता है एवं कतिपय अधिकारियों की मौखिक अनुरोध के कम में उन्हें भी ग्राह्य पाते हुए सेवावधि के विवरण एवं अन्य विवरणों में संशोधन करते हुए अंतिम सेवावधि विवरण आदि तदनुसार निर्गत की जाती है।


(दीप्ति सिंह)
निदेशक

पत्रांक 401 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- संबंधित अधिकारी।


(दीप्ति सिंह)
निदेशक